राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2025 / 374 दिनांक : 21/12/25

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (IAS/IFS/IPS) हेतु एआईएस रेजीडेंसी फेज–तृतीय, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले 82 फ्लैट्स हेतु दिनांक 15.12.2025 से 31.01.2026 तक पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई है।

उक्त के संबंध में मण्डल द्वारा पूर्व मे जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2009 / 481 दिनांक 29.06.2009 में बहुमंजिले आवासों के संबंध में दिये गये प्रावधान के बिन्दु संख्या 01 व 02 के अनुसार बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेंगे" जिसके अनुसार मध्यम आयवर्ग–अ (वार्षिक आय 6,00,001 / – से 12,00,000 / – तक) व मध्यम आयवर्ग–ब (वार्षिक आय 12,00,001 / – से 18,00,000 / –तक) के आवेदक भी इस योजना हेतु आवेदन की पात्रता रखेगें। अतः उक्त योजना के लिये जारी पंजीकरण पुस्तिका में उक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी–सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी–सचिव, मुख्य अभियन्ता–प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी–सचिव, सचिव / वित्तीय सलाहकार ,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी–सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल.जयपुर।
7. आवासीय अभिंयता,खण्ड–12, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar
Designation: Chief Estate Officer
Date: 2025.12.21 1?:32:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19509091